# आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

**शस्त्र अपीलवाद सं0–06/2023**

लालबाबू सिंह..........................................................................अपीलकर्त्ता

बनाम्

बिहार राज्य एवं अन्य ..............................................................विपक्षीगण

## आदेश

04.08.2023

प्रस्तुत शस्त्र अपीलवाद जिला दण्डाधिकारी, सिवान के आदेश ज्ञापांक सं0–1440/शस्त्र/सी0, दिनांक 06.04.2005 के विरूद्ध इस स्तर पर दायर किया गया है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा बताया गया कि अपीलकर्त्ता की शस्त्र अनुज्ञप्ति जिला दण्डाधिकारी, सिवान के आदेश ज्ञापांक–1440/शस्त्र/सी0, दिनांक 06.04.2005 द्वारा रद्द की गयी है, परंतु उनके द्वारा वर्ष 2023 में इस स्तर पर अपीलवाद दायर किया गया है।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता द्वारा बिना किसी समुचित कारण के प्रश्नगत आदेश पारित होने के लंबी अवधि बाद अपीलवाद दायर किया गया है। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका है, जिससे कि अपीलवाद दायर करने में हुए विलंब को तर्कसंगत माना जा सके।

उपर्युक्त वर्णित कारणों से प्रस्तुत शस्त्र अपीलवाद को ग्रहण के बिन्दु पर खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।